कार्यालयः—अपर सत्र न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नजारत
अनुविभाग सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

जा.क्र. 310 /2016 सोनकच्छ, दिनांक 20.07.2016

// घोष विक्रय विज्ञप्ति //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय तहसील न्यायालय देवास के मालखाना अनुभाग में रखी मोटर सायकल/मोपेड (दो पहिया वाहन) कुल 05 की "जहां पर है जिस स्थिति में है" घोष विक्रय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ जिला देवास की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्य समिति द्वारा दिनांक 24.08.2016 को दोपहर 12:30 बजे किया जाना है। अतः जो कोई भी उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होकर घोष विक्रय में भाग लेना चाहता है। वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है।

01. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी के पूर्व 10,000/—रूपये अमानत राशि के रूप में नकद जमा करना होंगे। नीलामी समाप्त होने के पश्चात सफल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा राशि वापस कर दी जावेगी।

02. **अमानत राशि अग्रिम रूप से कार्यालय की नजारत शाखा में दोपहर 12:00 बजे तक ही जमा की जावेगी।**

03. नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली की आधी राशि तत्काल जमा करना होगी, तथा नीलामी के अनुमोदन उपरान्त एक सप्ताह के भीतर शेष राशि नजारत शाखा में जमा कर वाहनों को उठाना होगा। नियत समयावधि में राशि जमा नही करने की दशा में जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।

04. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष घोष विक्रय तहसील न्यायालय सोनकच्छ को किसी बोली अथवा संपूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

05. घोष विक्रय के संबंध में किसी भी बिंदू पर अंति निर्णय लेने का अधिकार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष घोष विक्रय समिति तहसील न्यायालय सोनकच्छ को होगा, जो सर्वमान्य होगा।

06. बोली स्वीकृत होने के पश्चात उक्त संबंध में उठायी गयी किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

07. खरीददार स्वयं अपने व्यय पर वाहनों को उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय नही किया जावेगा।

08. उपरोक्त वाहन तहसील न्यायालय भवन सोनकच्छ में रखे हुए हैं, इच्छुक केता नीलामी के पूर्व कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में वाहनों का अवलोकन कर सकते है।

09. उपरोक्त वाहन की संख्या घट–बढ़ सकती है।

नोटः– वाहनों का विस्तृत विवरण एवं अपसेट मूल्य म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास तहसील न्यायालय भवन सोनकच्छ के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

(ए.के. सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
अध्यक्ष घोष विक्रय समिति म.प्र.
नजारत अनुभाग सोनकच्छ
जिला देवास म.प्र.

// मूल्यांकन की जाने वाली मोटर सायकलों की सूची //

अपराध क्रमांक	आपराधिक प्रकरण क्रमांक	मुद्देमाल नं.	धारा	पक्षकारों के नाम	मोटर सायकल प्रकार / नंबर	अनुमानित अपसेट वेल्यू
61 / 89	309 / 89	114 / 90 एक.मो.सा.	304	शासन पी.एस.भौंरासा वि. चंदरसिंह	T.V.S.M.O.V./ 9826	रू. 1500=00
280 / 02	500 / 02	282 / 02	392, 394	शासन पी.एस. सोनकच्छ वि. जसपाल आदि	एक यामाह मोटर सायकल काले रंग की जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुरचे हुए होने से दर्शित नही है एवं प्लेट नंबर पर नंबर जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुरचे हुए होने से दर्शित नही है एवं जिसके इंजन नंबर व चैचिस नंबर खुरचे हुए होने से दर्शित नही है एवं दर्शित नही है।	रू. 3400=00
7 / 7	370 / 08	130 / 08 एक.मो.सा.	403	शा0पीएस भौरासा वि मनीष	HERO HONDA CHECHIS NO. 02B20F41840 इंजिन नं. 02B18E41130	रू. 3200=00

							अनुमानित अप सेट वेल्यू
[illegible]	03/08	395/08	172/08 एक मो.सा.	403	शासन पी.एस. भौंरासा वि. लाडसिंह	HERO HONDA NO. M.P.09 J.W.0106 CHECHIS NO. 02J2IC0524	रू. 3800=00
[illegible]	1/9	439/09	315/13 एक.मो.सा.	403	शा. पीएस भौरासा वि सुरजसिंह	HERO HONDA NO. M.P.41B0031 CHECHIS NO. 03G20F10934 इंजिन नं. 03G18E11087	रू. 3200=00

Sub-Eng.,
P.W.D. (E/M.) ~~DEWAS~~
Sonkatch

(नरेन्द्र पटेल)
प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुविभाग सोनकच्छ
जिला देवास म0प्र0

अनुविभागीय अधिकारी,
लो. नि. वि. वि./याँ., देवास